रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264762
CG-DL-E-17072025-264762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3195] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947
No. 3195] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2025

का.आ. 3265(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALN0120A) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), "उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम", 1976 (यूपी अधिनियम, 1976 का 6) के तहत गठित एक प्राधिकरण को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-2025 से इस शर्त के अध्याधीन होगी कि निर्धारिति आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्यों के साथ 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम', 1976 (यूपी अधिनियम, 1976 का 6) के तहत गठित एक प्राधिकरण बना रहेगा।

[अधिसूचना संख्या 116 /2025/फा. सं. 300195/24/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव